

५१३
२७३



राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।

क्रमांक एफ-४/मु./याता/लेखा(१२)/१७/६८।

दिनांक २५.३.१७

कार्यालय-आदेश

आगरा में कैला देवी मेला संचालन के संबंध में उत्तरप्रदेश परिवहन निगम एवं राजस्थान परिवहन निगम के अधिकारियों के मध्य हुई वार्ता में कैलादेवी मेला, २०१७ की अवधि के दौरान आगरा से कैलादेवी वाया महुवा (द्रूतगामी सेवा) के यात्री किराया पर हुई सहमति के क्रम में आगरा से कैलादेवी वाया महुवा द्रूतगामी सेवा का प्रति यात्री किराया राशि रूपये २२९/- (सभी अधिभार/शुल्क सहित) निर्धारित किया जाता है।

मेला स्पेशल बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को यात्री किराया में देय ३० प्रतिशत की रियायत/छूट (राजस्थान राज्य क्षेत्र के यात्री किराये पर) के रिकार्ड का समुचित संघारण कर वित्तीय भार की राशि के पुनर्भरण हेतु विवरण उप महा प्रबंधक (सांख्यिकी) को प्रेषित करेंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर पर स्वीकृति प्राप्त कर जारी किये जा रहे हैं।

(ज्योति चौहान)

कार्यकारी निदेशक (यातायात)

क्रमांक एफ-४/मु./याता/लेखा(१२)/१७/६८।

दिनांक: २५.३.१७

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

१. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, रा०प०नि, मुख्यालय, जयपुर।
२. समस्त विभागाध्यक्षराज० परि० निगम, मुख्यालय, जयपुर।
३. महा प्रबन्धक/संयुक्त/उप महा प्रबन्धक,रापनि.मुख्यालय.जयपुर।
४. मुख्य मेला अधिकारी/उप मेला अधिकारी कैलादेवी मेला, करौली।
५. उप महा प्रबंधक (आई.टी) रा.प.नि, को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश को निगम वेब साइट पर उपलब्ध कराने एवं सभी संबंधितों को ई-मेल की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
६. कार्यकारी प्रबंधक (निरीक्षण/याता.) राज.परि.निगम. मुख्यालय, जयपुर।
७. कार्यकारी प्रबंधक (जनसम्पर्क) राज.परि.निगम, मुख्यालय, जयपुर।
८. लेखाधिकारी (बजट) राज० परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
९. मुख्य प्रबंधक, राज.परि.निगमआगार।
१०. आदेश पत्रावली।

(ज्योति चौहान)

कार्यकारी निदेशक (यातायात)